फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2047.30	2047.30	2047.30	2047.30	00
योग-	**2047.30**	**2047.30**	**2047.30**	**2047.30**	**00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्युनल 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2925.00	4972.30	2047.30	2047.30	4972.30
योग -	**2925.00**	**4972.30**	**2047.30**	**2047.30**	**4972.30**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

क- मद संख्या 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) (परिवहन अधिष्ठान) :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 19-03-2024 द्वारा लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 2047.30 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था परन्तु बजट एलाटमेंट फीडिंग में हुई त्रुटि के कारण उक्त मद में इंट्री न होकर लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय की मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में हो जाने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

ख- मद संख्या 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (एम0ए0सी0टी0 अधिष्ठान) :- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-643/2015 ऑल इण्डिया जजेज ऐसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-01-2024 के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुपालन में नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 28-02-2024 द्वारा अनुमन्य किये गये भत्ते/सुविधायें हेतु प्रदेश में संचालित 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के सेवारत व सेवानिवृतत पीठासीन अधिकारियों द्वारा एरियर की मांग मद संख्या-52 में की जा रही है। मद संख्या-52 में उपलब्ध बजट रू0 851.30 लाख से मात्र 22 अधिकरणों के बजट मांग पत्रों का निस्तारण किया जा सका, शेष 53 अधिकरणों के सेवारत/सेवानिवृत्त पीठासीन अधिकारियों के बजट मांग पत्रों के निस्तारण की आवश्यकता होने के करण। वर्तमान में उक्त संक्रमण हेतु प्रत्याशित मदों में बजट की उपलब्धता शून्य है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-799, दिनांक 23.03.2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- 35/2024/744(1) /तीस-3-2024 दिनॉक 23 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in